वाणिज्यिक न्यायालय, अयोध्या।

राष्ट्रीय लोक अदालत

प्रकीर्ण सी0सी0 वाद सं0—33 / 2022
(कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं0—03 / 2019)

सी.एन.आर.नं0—UPFZ070000492019

श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फाइनेंस कं0 लि0............बनाम..........हौसिला प्रसाद आदि।

दिनांक—14.03.2026

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पुकार करायी गयी। डिक्रीधारक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

डिक्रीधारक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना—पत्र सं0—8ई इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि निर्णीतऋणीगण का वर्तमान पता व सम्पत्ति का विवरण प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिस कारण उपरोक्त वाद में समुचित पैरवी नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में निर्णीतऋणीगण का वर्तमान पता व सम्पत्ति का विवरण प्राप्त होने पर उपरोक्त निष्पादन वाद पुनः दाखिल करने के अधिकार सहित प्रार्थी उपरोक्त इजराय वाद वापस लेना चाहता है। न्यायहित में मूल एवार्ड व न्यायशुल्क प्रार्थी को वापस किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त इजराय वाद को लोक अदालत में संदर्भित कर वापस लेने की अनुमति प्रदान करने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आलोक में प्रस्तुत निष्पादन वाद वापस लेने की अनुमति दी जाती है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकीर्ण सी0सी0 वाद सं0—33 / 2022, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हौसिला प्रसाद आदि, तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को एवार्ड की प्रति मय अदा किए गये स्टाम्प शुल्क की मूलप्रति नियमानुसार वापस किया जाये। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(वेद प्रकाश वर्मा)
पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय
अयोध्या।
आई.डी.नं0—UP5873